न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी :- सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
अनुवान नरेश कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि
वाद संख्या 55 वर्ष 2023
वाद पत्रा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 5
राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
निर्णय दिनांक :- 16.07.2024

नरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारु जिला भिवानी
– वादी –

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्योपाल जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
2. कमला पुत्री श्योपाल जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
3. कविता पुत्री रणसिंह जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
4. मामकोरी पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
5. रविन्द्र पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
6. रामकिशन पुत्र श्योपाल जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रोशनी पुत्री श्योपाल जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
8. सन्तोष पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
9. सोमवीर पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण –

1. अंजनी कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी
2. अजयपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी
3. किताबो देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू (भिवानी)
4. मुन्नी देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी
5. राजवाला देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी
6. सन्तोष पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी
7. सुनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी

– गौणप्रतिवादीगण –

उपस्थिति :-

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

1. श्री पूर्णाराम सांगवान एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री आशाराम आचार्य एडवोकेट वास्ते गौणप्रतिवादीगण
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 10

-: निर्णय :-

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि खाता संख्या 85 के खसरा नं. 131 तादादी 4.5396 हेक्टेयर, खसरा न 131/517 तादादी 2.4784 हेक्टेयर कुल तादादी 7.0180 हेक्टेयर, खाता संख्या 284 के खसरा नं. 283 तादादी 5.5512 हेक्टेयर रोही मिखाला तहसील तारानगर वादी, प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित कृषिभूमि है यही विवादित कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित है। कृषिभूमि खसरा नं. 131 तादादी 4.5396 हेक्टेयर, खसरा नं. 131/517 तादादी 2.4784 हेक्टेयर कुल तादादी 7.0180 हेक्टेयर में वादी का 1/16 हिस्सा व प्रत्येक गौण प्रतिवादी का 1/16, 1/16 हिस्सा है। कृषि भूमि खसरा नं. 283 तादादी 5.5512 हेक्टेयर रोही मौजा मिखाला तहसील तारानगर में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जो अपने हिस्से की कृषिभूमि को उपयोग उपभोग में लेकर कब्जा काश्त करता है।

उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित व शामलाती हैं इस कारण काश्त के समय मन मुटाव व तनाजा रहता है इससे वादी अपने हिस्से का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। इस कारण वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि का खाता अलग से विभाजन कराना चाहता है। अतः वादी की ओर से यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया कि वो अपने अपने हिस्से के अनुसार अलग अलग खाता विभाजन करवा लेवें तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 01.03.2023 को ऐसा करने से बमुकाम चंगोई तहसील तारानगर में साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषिभूमि में सह खातेदार होने से प्राप्त है। आदि आदि।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर विवादित कृषिभूमि खाता सं. 285, खसरा नं. 131 तादादी 4.5396 हेक्टेयर, खसरा नं. 131/517 तादादी 2.4784 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 283

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

तादादी 5.5512 हेक्टेयर रोही मौजा मिखाला तहसील तारानगर में से अपने हिस्से का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

दावा प्रस्तुत होनें पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 रजि. सम्मन तामिल होने के बावजुद भी अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। गौणप्रतिवादी स. 1 ता 7 का वकालतनामा व जवाब इकबालदावा मय काउन्टर क्लेम एडवोकेट श्री आशाराम आचार्य ने पेश किया। वकील वादी ने काउन्टर क्लेम सही होना स्वीकार किया। प्रतिवादी सं. 10 तहसीलदार तारानगर की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। दावा तथा प्रतिदावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। उभय पक्ष के अधिवक्ता के निवेदन पर दावा दिनांक 06.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया तथा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार को पक्षकारों के हक हिस्सा तक की कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.02.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया हैं। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा तक की भूमि तक का होना पाया गया है। कोई आपति प्राप्त नहीं होने व वकील उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार करने पर यह दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि ख.नं. 131 तादादी 04.5396 हैक्टेयर, ख.नं. 131/517 तादादी 02.4784 हैक्टेयर, ख.नं. 283 तादादी 05.5512 हैक्टेयर वाके रोही मिखाला तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :—

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम मिखाला तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 283 मीन तादादी 02.7756 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, वादी नरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी के हक हिस्सा में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

(2) कृषि भूमि रोही ग्राम मिखाला तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 131 मीन तादादी 02.1672 हैक्टेयर, ख.नं. 131/517 मीन तादादी 01.3418 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, प्रतिवादी किताबो देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र, अंजनी कुमार, अजयपाल, नरेश कुमार, मुन्नी देवी, राजबाला देवी, सन्तोष, सुनिल कुमार पिसरान रामचन्द्र जाति जाट निवासी मताणी तहसील लुहारू जिला भिवानी के हक हिस्सा में ब.हि. ब. रहेगी।

(3) बाकी मान्दा बदस्तुर जमाबन्दी रहेगी। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। जिन पक्षकारों का हिस्सा बैंक के रहन हैं वे बैंक के यथावत रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)